***प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 17.08.2026***

**#OperationConviction**

**> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी व मा0 न्यायलय द्वारा हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व कुल 27,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* ।**

थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2021 धारा 147,148,302/34,427 भादवि बनाम 1.सुभाष पुत्र मोहरसिंह 2.रामभान पुत्र मोहरसिंह 3.आशीष पुत्र सुभाष सिंह 4.विनय पुत्र रामभान सिंह 5. प्रेमपाल पुत्र इन्द्रपाल 6.सुरेन्द्र पुत्र भगवन्त सिंह 7.नरेन्द्र पुत्र भगवन्त सिंह निवासीगण ग्राम मोहब्बे अलीपुर चिचैटा थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक श्री बच्चू सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश तोमर द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17.08.2026 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुभाष को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 427 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्तगण रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेन्द्र व नरेन्द्र को दोषमुक्त किया गया ।पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश तोमर एवं विवेचक निरीक्षक श्री बच्चू सिंह तथा लोक अभियोजक एडीजीसी श्री संजीव गुप्ता  का योगदान सराहनीय रहा।

*सोशल मीडिया सेल,बदायूँ* ।